धौलपुर राज्य का इतिहास (धौलपुर का जाट वंश)

राजस्थान में जाट शासकों द्वारा शासित क्षेत्रों में भरतपुर के अलावा दूसरी रियासत धौलपुर थी। वर्तमान में राजस्थान के पूर्व में उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश की सीमा से लगा हुआ धौलपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। यह राजस्थान प्रदेश का 'पूर्वी द्वार' कहलाता है।

ध्यातव्य रहे– वर्तमान में धौलपुर विशेष रूप से बलुआ पत्थर के लिए जाना जाता है। दिल्ली के लाल किले के निर्माण में इस पत्थर का प्रयोग किया गया था।

धौलपुर के संबंध में कुछ मत प्रचलित है–

1. प्रथम मत के अनुसार धौलपुर नगर की स्थापना नागवंशी धौल्या गौत्र के जाटों ने की थी। धौल्या गौत्र के जाटों द्वारा स्थापित होने के कारण यह क्षेत्र आगे चलकर धौलपुर कहलाया।

2. दूसरे मत के अनुसार धौलपुर शहर या धौलपुर कस्बा दिल्ली के तोमर शासक धवलदेव/धोलनदेव ने 11वीं सदी में बसाया था। इसे प्रारम्भ में धवलपुर/धौलागिरी/धौलाडेरा कहा जाता था। धवलपुर का अपभ्रंश धौलपुर में बदल गया।

3. तीसरे मत के अनुसार जादौन शासक (यदुवंशी) धवलराय ने धौलपुर की स्थापना की।

4. चौथे मत के अनुसार वीर तेजाजी के 15 पीढ़ी पहले धवलपाल जाट ने धौलपुर शहर का निर्माण करवाया। इन्हीं के नाम पर धौल्या गौत्र चला।

उपरोक्त सभी मतों में नागवंश के धौल्या गौत्र के जाटों द्वारा धौलपुर की स्थापना ज्यादा प्रमाणिक है। नोट – जबकि कुछ इतिहासकार धौलपुर के जाटवंश की उत्पत्ति चन्द्रवंशी भस्भरालिया एवं शिवी वंशी बमरोलिया गौत्र के जाटों से मानते हैं।

ध्यातव्य रहे– जिस प्रकार भरतपुर जाटवंश का उद्भव सिनसिनी गाँव से हुआ, उसी प्रकार धौलपुर के जाटवंश का उद्भव गोहद गाँव से माना जाता है। धौलपुर के जाटवंश के शासकों की पदवी 'राणा' थी और यह जाटवंश भरतपुर राज्य के जाटवंश से संबंधित था।

धौलपुर क्षेत्र का इतिहास वैदिक काल से माना जाता है। इस समय धौलपुर मत्स्य जनपद में शामिल था। सदियों तक धौलपुर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा। शाकम्भरी व अजमेर के चौहान शासकों का इस क्षेत्र पर अधिकार रहा, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराकर इसे अपने अधीन कर लिया तथा बाद में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया।

1502 ई. में जब सिकन्दर लोदी ने इन क्षेत्रों में खिराज वसूलने हेतु सेनाएँ भेजी, तो उस समय धौलपुर के शासक और ग्वालियर के सामंत विनायक देव ने सुल्तान की सेना को पराजित कर वहाँ से खदेड़ दिया।

सिकन्दर लोदी एक बड़ी सेना के साथ 1504 ई. में धौलपुर पर आक्रमण करने आए तो राजा विनायक देव ग्वालियर चले गए तथा सिकन्दर लोदी ने कमरूद्दीन को धौलपुर का शासक बना दिया।

मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य 1517-18 ई. में खातौली का युद्ध हुआ तथा 1519 ई. में धौलपुर में बाड़ी का युद्ध हुआ, जिसमें सुल्तान की पराजय हुई, जिसके बाद धौलपुर व बयाना आदि क्षेत्रों पर महाराणा साँगा का अधिकार हो गया। 1526 ई. में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर मुगलवंश को दिल्ली में स्थापित कर दिया। बाबर व महाराणा सांगा के मध्य 1527 ई. में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा, जिसके बाद ये क्षेत्र बाबर के अधिकार में हो गया। शेरशाह सूरी ने 1539 ई. में चौसा के युद्ध में हुमायूँ को पराजित कर दिल्ली सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया, तो यह क्षेत्र स्वत: ही शेरशाह के अधीन हो गया। शेरशाह ने यहाँ शेरगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया।

शेरगढ़ दुर्ग (धौलपुर)

शेरगढ़ दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसे दक्खिन/दक्कन का द्वार/धौलदेहरागढ़/राजस्थान का पूर्वी द्वारगढ़/धौलपुर दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। यह दुर्ग धौलपुर में चम्बल नदी पर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से लगी सीमा पर स्थित है। इस किले का निर्माण कुषाणवंशीय राजा मालदेव ने 1532 ई. में करवाया। 1540 ई. में शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्धार व पुनरूद्धार करवाया और इसका नाम अपने नाम पर शेरगढ़ रखा। शाहजहाँ के पुत्रों दाराशिकोह, मुराद व औरंगजेब में सत्ता हथियाने के लिए यहीं पर युद्ध हुआ था। राजस्थान का यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है, जो राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है। 1804-1811 ई. की अवधि के मध्य यह दुर्ग धौलपुर के प्रथम राणा कीरतसिंह की राजधानी रहा। हुनहुंकार तोप-इस तोप की लंबाई 19 फीट और चौड़ाई 10 फीट है, जो आजकल शहर के इंदिरा पार्क में रखी हुई है। इस तोप का निर्माण राणा कीरत सिंह ने करवाया।

जहाँगीर के समय धौलपुर की जागीर अमीर फतेहाबाद खाँ व महावत खाँ को प्रदान की गई। भदौरिया के कल्याणसिंह ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर होती मुगल सत्ता का फायदा उठाते हुए बहादुरशाह प्रथम के शासनकाल में धौलपुर पर अधिकार कर लिया। मुसलमानों के विरूद्ध राजपूतों का साथ देने के कारण धौलपुर के जाटवंश परिवार को राणा की पदवी दी गई एवं उनको गोहद प्रदेश का शासक मान लिया गया। धौलपुर के जाटवंश ने मराठा पेशवा बाजीराव को भी अत्यधिक सहयोग दिया, जिस कारण मराठों ने भी उन्हें गोहद का शासक मान लिया। परन्तु मराठों की स्वार्थपूर्ण नीतियों से गोहद के राणा भीमसिंह भी नहीं बच पाये। 1754 ई. में अन्ताजी माणकेश्वर के नेतृत्व में मराठा सेना ने गोहद के राणा भीमसिंह के कई क्षेत्र अपने अधीन कर लिए। राणा भीमसिंह ने सूरजमल से संरक्षण प्राप्त किया तथा राणा भीमसिंह ने 1755 ई. में मराठों से अपने क्षेत्र स्वतंत्र करा लिए। जब 1761 ई. में मराठे पानीपत के तृतीय युद्ध में उलझे हुए थे, तब गोहद के राणा भीमसिंह ने मराठों के ग्वालियर सहित 10 किलों को अपने अधिकार में ले लिया। राणा भीमसिंह की मृत्यु के बाद उनका भतीजा राणा लोकेन्द्र सिंह गोहद के सिंहासन पर बैठा। भरतपुर के जाट महाराजा सूरजमल के समय धौलपुर पर 1761 ई. में भरतपुर का अधिकार हो गया। महाराजा सूरजमल की मृत्यु के बाद मराठों ने धौलपुर से लेकर डीग तक लूटपाट मचा दी, तो भरतपुर के अगले महाराजा जवाहरसिंह ने पंजाब के सिक्खों व अपने सैनिकों के साथ मिलकर मराठों को यहाँ से भाग दिया तथा धौलपुर (नाहरसिंह को परास्त कर), भरतपुर, डीग, गोहद, बयाना, मथुरा आदि क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया।

लोकेन्द्र सिंह

राणा भीमसिंह के स्वर्गवास के बाद गोहद के उत्तराधिकारी उनके भतीजे राणा लोकेन्द्र सिंह बने। 1767 ई. में मराठा पेशवा माधवराव ने राणा से खिराज वसूलने हेतु गोहद पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। खिराज के बदले में पेशवा ने राणा को गोहद का स्वतंत्र राजा बनाने का आश्वासन दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1779 ई. में कम्पनी सरकार ने गोहद का क्षेत्र मराठों से छीनकर लोकेन्द्र सिंह को दे दिया। साथ ही ग्वालियर दुर्ग भी लोकेन्द्र सिंह को सौंपकर इन क्षेत्रों में शांति स्थापित की। 1782 ई. में महादजी सिंधिया ने आक्रमण कर गोहद व ग्वालियर पर फिर से अधिकार कर लिया एवं लोकेन्द्र सिंह को बंदी बना लिया, जहाँ कैद में रहते हुए लोकेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई।

राणा कीरत सिंह/कीर्तिसिंह (1805-1836 ई.)

द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध के दौरान 17 जनवरी, 1804 ई. को कम्पनी सरकार ने महादजी सिंधिया को हराकर पुन: गोहद व ग्वालियर पर अधिकार कर लिया एवं राणा लोकेन्द्र सिंह के पुत्र कीरत सिंह को गोहद का शासक बनाया।

धौलपुर के शासक कीरत सिंह ने भी मराठा आक्रमणों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए 29 जनवरी, 1804 ई. को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। यही संधि धौलपुर के साथ अंग्रेजी संबंधों का आधार बनी।

22 नवम्बर, 1804 ई. को महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, जिसके बाद कम्पनी सरकार ने गोहद व ग्वालियर वापस महादजी सिंधिया को लौटा दिये। साथ ही 1805 ई. में ग्वालियर रियासत से धौलपुर, बाड़ी व राजाखेड़ा परगने अलग कर धौलपुर रियासत का गठन किया गया एवं कीरत सिंह को धौलपुर रियासत का शासक बनाया गया। अब ये गोहद की बजाय धौलपुर के राणा कहलाने लगे। 1836 ई. में महाराजा कीरतसिंह का स्वर्गवास हो गया।

राणा भगवंत सिंह (1836-1873 ई.)

कीरतसिंह के बाद उसका पुत्र भगवंत सिंह धौलपुर का शासक बना। 1837 ई. में अंग्रेजी सरकार की ओर से इनको खिलअत प्रदान हुई। 1857 की क्रांति के दौरान भगवंत सिंह ही धौलपुर के शासक थे। धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह अंग्रेजों के वफादार थे। अक्टूबर, 1857 ई. में ग्वालियर व इंदौर से 5000 विद्रोही सैनिक धौलपुर राज्य में घुस गए। जहाँ पर राज्य की सेना व कई वरिष्ठ अधिकारी क्रांतिकारियों से मिल गए और वहाँ पर गुर्जर देवा के नेतृत्व में विद्रोहियों ने 27 अक्टूबर, 1857 ई. में राज्य पर अपना अधिकार कर भगवंतसिंह को कैद कर लिया, दिसम्बर 1857 तक धौलपुर का शासक अधिकार विहीन रहा। 2 माह बाद पटियाला नरेश की सेना ने धौलपुर पहुँचकर दिसंबर में विद्रोहियों का सफाया कर भगवंतसिंह को मुक्त कराया। ब्रिटिश सरकार ने राणा भगवंतसिंह को KCIE का खिताब व गोद लेने का अधिकार दिया।

1861 ई. में धौलपुर रियासत के दीवान देवहंस ने राणा भगवंतदास को हटाकर धौलपुर शासन पर अपना अधिकार करना चाहा, परन्तु राणा भगवंत सिंह ने अंग्रेज सरकार से निवेदन कर देवहंस को बंदी बनवाकर बनारस भेज दिया। 1863 ई. में सर दिनकर राव के भाई गंगाधर राव को धौलपुर राज्य का प्रधान बनाया गया। 1867 ई. में भगवंतसिंह के इकलौते पुत्र की 28 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। 1870 ई. में कलकत्ता में राणा भगवंत सिंह ने ड्यूक ऑफ कनाट से मुलाकात की। इस अवसर पर भगवंत सिंह को सितार-ए-हिंद का प्रथम श्रेणी का खिताब दिया गया। 1871 ई. में गंगाधर राव ने धौलपुर राज्य के दीवान पद से इस्तीफा दे दिया, तो राणा ने आगरा में लाट साहब से मुलाकात कर अब्दुल नबी खाँ को धौलपुर राज्य का स्थाई दीवान बनाया। यह बड़ा योग्य आदमी था। राणा भगवंतसिंह ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किये, जैसे-संगीन मुकदमों को सुनने के लिए इजलास खास की स्थापना, जिसमें राणा स्वयं व दीवान बैठकर अपीलें सुनते थे। जमीन संबंधी मामलों के निपटारों के लिए महकमा खास की स्थापना, सेना संबंधित समस्त हिसाब और कार्य के लिए फौजी विभाग की स्थापना, अदालत आला दीवानी व फौजदारी के लिए दो हाकिम जिसमें एक दीवानी व दूसरा फौजदारी संबंधी निर्णय करता था। 1873 ई. में राणा भगवंत सिंह का स्वर्गवास हो गया।

राणा निहालसिंह (1873-1901 ई.)

राणा भगवंतसिंह के बाद उनके पौत्र निहालसिंह फरवरी, 1873 ई. में धौलपुर के शासक बने, क्योंकि भगवंत सिंह के पुत्र की मृत्यु 28 वर्ष की आयु में हो चुकी थी। नाबालिग होने के कारण धौलपुर राज्य का शासन प्रबंधन सर दिनकर राव को सौंपा गया एवं नाबालिग राणा निहालसिंह की देखरेख व शिक्षा का प्रबंधन उनकी माताजी को सुपुर्द किया गया।

1875 ई. में राणा निहालसिंह ने मिस्टर स्मिथ को धौलपुर राज्य में भूमि बंदोबस्त करने के लिए बुलाया। मुंशी कन्हैयालाल और दुर्गाप्रसाद के सहयोग से 1877 ई. तक बंदोबस्त हो गया और जमाबंदी की कठिनाईयाँ भी हल हो गई। राणा निहालसिंह 1876 ई. में एडवर्ड सप्तम के दरबार में शामिल हुए। राणा निहालसिंह ने धौलपुर राज्य की आमदनी बढ़ाने के तरीकों पर खूब ध्यान दिया। 1884 ई. में निहालसिंह को अंग्रेजी सरकार की ओर से पूर्ण अधिकार प्रदान किये गये। कहा जाता है कि, 'राणा निहालसिंह घुड़सवारी में बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने शर्तानुसार रेलगाड़ी के साथ-साथ आगरा तक घोड़ा दौड़ाया, जिसमें राणा निहालसिंह विजयी रहे।' अंग्रेजी सरकार ने इन्हें सेन्ट्रल इंडिया हॉर्स में आनरेरी मेजर और फ्रंटियर मेडल और के.सी.बी.ओ. की उपाधियाँ दी। महाराजा निहाल सिंह का 1901 ई. में देहांत हो गया।

> ध्यातव्य रहे–राणा निहालसिंह 'प्यारे राजा साहब' के नाम से प्रसिद्ध थे।

राणा रामसिंह (1901-1911 ई.)

राणा निहालसिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र रामसिंह धौलपुर के शासक बने। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के नये प्रचलित कानूनों को धौलपुर राज्य में लागू करवाया। राणा रामसिंह के समय धौलपुर राज्य 6 परगनों में विभक्त था–मनिया, कुलारी, बाड़ी, बिसहरी/बसेड़ी, राजाखेड़ा और धौलपुर। ब्रिटिश सरकार ने राणा रामसिंह को KCIE की उपाधि दी। 1911 ई. में राणा रामसिंह की नि:सन्तान मृत्यु हो गई।

राणा उदयभानसिंह (1911-1948 ई.)

राणा रामसिंह की नि:संतान मृत्यु हो जाने के बाद उनके छोटे भाई उदयभान सिंह को 1911 ई. में धौलपुर का शासक बनाया गया। नाबालिग होने के कारण राज्य का शासन पॉलिटिकल एजेन्ट व रीजेन्सी कौंसिल द्वारा चलाया गया। उपाधि सहित इनका पूरा नाम 'रईस उद्दौला पिहदार उल्मल्क महाराजधिराज श्री सवाई महाराज राणा लेफ्टिनेंट कर्नल सर उदयभानसिंह लोकेन्द्र बहादुर दिलेरगंज जयदेव के.सी.एस.आई., के.सी.बी.ओ.' था। 1913 ई. में राणा उदयभानसिंह को राज्याधिकार प्राप्त हुए। मेरठ की जाट सभा का सभापतित्व राणा उदयभानसिंह ने किया। नरेन्द्र मण्डल के सदस्य के रूप में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शासक उदयभान सिंह भी सम्मिलित हुए तथा राजस्थान के शासकों में बीकानेर के महाराजा गंगासिंह व अलवर के महाराजा जयसिंह भी इस सम्मेलन का हिस्सा बने। 18 मार्च, 1948 को धौलपुर का मत्स्य संघ में विलय कर दिया गया और महाराजा उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया।

ध्यातव्य रहे–धौलपुर के राणाओं के लिए 17 तोपों की सलामी मुकर्र थी।

धौलपुर के सिक्के

धौलपुर की टकसाल 1804 ई. में आरम्भ हुई, जिसमें रुपया और अठन्नीयाँ ढ़ाली गई। धौलपुर में प्रचलित सिक्के को 'तमंचा शाही' कहते थे, क्योंकि उस पर तमंचे का चिह्न लगाया जाता था। इसका प्रचलन धौलपुर, ग्वालियर और पटियाला में था। इसके एक ओर 'सिक्का जद बर हफ्त दिखार साया फजल अल्लाह हामी दीन मुहम्मद शाह आलम बादशाह सन् 1218' तथा दूसरी तरफ 'जर्ब गोहाड़ सन् जुलूस 46 मैमनत मानूस' अंकित रहता था। 1806 ई. में कीरत/कीर्तिसिंह ने अकबर द्वितीय के सिक्के इसी शैली में चलाये।

1810 ई. के सिक्के के एक तरफ 'जुलूस मैमनत जर्ब धौलपुर तमंचा राज गोहाड़' तथा दूसरी तरफ 'सिक्का मुबारक साहिब किरन सानी मुहम्मद अकबर शाह बादशाह गाजी 1225' अंकित रहता था तथा उन पर छत्र और तमंचे के चिह्न भी अंकित रहते थे।

1857 ई. में महाराजा भगवंतसिंह पुराने सांचे के सिक्के चलाये, जिन पर 'छत्र' का चिह्न था और उन पर 'सन् 1252' अंकित था।

❑❑❑